राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–850/2025

सुशील कुमार भंवरिया

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 14.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गर्सा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सीएचसी थोई, श्रीमाधोपुर जिला सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण राजकीय जिला चिकित्सालय, जैसलमेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का नाम सुशील कुमार भंवरिया है, जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम सुशीला कुमारी भंवरिया अंकित करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो गलत है। अपीलार्थी के स्थानांतरण में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश को स्थगित रखा जाए।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान आलोच्य आदेश में सही अंकित किया गया है। केवलमात्र अपीलार्थी का नाम सुशील कुमार भंवरिया की जगह सुशीला कुमारी भंवरिया अंकित किये जाने के आधार पर स्थानांतरण

आदेश को त्रुटिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता है। ऐसे में केवलमात्र लिपिकीय त्रुटि के कारण स्थानांतरण आदेश को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)